

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग-2

§ विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी §

मंगलवार, 09 जनवरी, 2001/पौष 19, 1922 § शक §

संख्या: 126

सदस्यों की नजरबन्दो एंव रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को पुलिस थाना होज काजी, दिल्ली का निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है :-

"मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य सर्वश्री सुभाष चौपड़ा, मुकेश शर्मा, प्रह्लाद सिंह साहनी, हरून यूसुफ, श्रीमती किरन चौधरी व श्रीमती मोरा भारद्वाज को 06.01.2001 को 1335 बजे दिल्ली पुलिस अधिनियम 1978 की धारा -65 के अंतर्गत पुलिस के विधि सम्मत निर्देशों की अवज्ञा करने कारण नजरबन्द किया गया।

उन्हे वही से उसी दिन अर्थात् 06.01.2001 को 1340 बजे रिहा कर दिया गया।

एस.के.शर्मा
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
BULLETIN PART-II

(General information relating to Legislative & other matters)
Tuesday, 9th January, 2001/Poush 19, 1922(Saka)

No.126

DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi was received from S.H.O. Hauz Qazi, Delhi.

" I have the honour to inform you that S/Shri Subhash Chopra, Mukesh Sharma, Prahlad Singh Sawhney, Haroon Yusuf, Smt. Kiran Choudhry & Smt. Mira Bhardwaj, MLAs were detained u/s 65 of Delhi Police Act.1978 for disobeying the lawful directions of police at 1335 hrs.on 6.1.2001.

They were released at 1340 hrs.from the same place on the same day i.e. 6-1-2001!"

S.K.SHARMA
SECRETARY